

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / ए / एसटी-सीएसएस / 2017-18 दिनांक : 21.08.2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा,

झालावाड़ / गंगानगर / हनुमानगढ़ / बूंदी / सीकर-प्रथम

/ बीकानेर / चित्तौड़गढ़ / सीकर-द्वितीय


विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 09 व 10) अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 09 व 10) के पूर्व वर्षों के शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2015-16 से 2016-17 का राज्यांश/केन्द्रांश का वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को लेखामद 2202-02-107-06-02 13 राज्यनिधि/केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहित कर आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	ऑफिस आई.डी.	जिले का नाम	जहां से राशि प्रत्याहरित की जानी है		आवंटित राशि	
			CA	SF	CA	SF
1	22087	JHALAWAR	922	1431701	--	--
2	2735	GANGANAGAR	1125	545201	--	--
3	3282	HANUMANGARH	2250	524388	--	--
4	17137	BUNDI	250	364640	--	--
5	11216	SIKAR-I	139847	306063	--	--
6	3735	BIKANER	14625	619451	--	--
7	21402	CHITTORGARH	--	--	159019	1681481
8	11219	SIKAR-II	--	--	--	2109963
		<b>TOTAL</b>	<b>159019</b>	<b>3791444</b>	<b>159019</b>	<b>3791444</b>

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-


1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. राशि का आवंटन पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2016-17 तक के शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए जिन विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं हुआ है उन्हीं छात्रों के लिए उक्त राशि का आवंटन किया गया है।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / ए / एसटी-सीएसएस / 2017-18  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक : 21.08.2018

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, \_\_\_\_\_
4. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर